संख्या:15/2023/I/296760/2023/46-1002(003)/1/2022

प्रेषक,

शेषनाथ,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
गन्ना एवं चीनी
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

चीनी उद्योग अनुभाग-1 **दिनांक 31 मार्च,2023**

विषय- उ.प्र. गन्ना शोध परिषद, शाहजहॉपुर को वित्तीय वर्ष 2022-23 में (वेतन) मदों हेतु प्राविधानित/स्वीकृत धनराशि को पुर्नआवंटन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या:334/लेखा-बजट(चीनी),दिनांक 27.03.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ.प्र. गन्ना शोध परिषद शाहजहॉपुर को अनुदान संख्या-24(चीनी) के अन्तर्गत अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म-108-वाणिज्यिक फसलें-03-गन्ना-0303-उ.प्र. गन्ना शोध परिषद, शाहजहॉपुर को सहायता के मद संख्या-31 सहायता अनुदान सामान्य (वेतन) मद में चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्राविधानित धनराशि रू.30,50,47,000/- लाख (रूपये तीस करोड़ पचास लाख सैंतालिस हजार मात्र) के सापेक्ष विभिन्न मदों हेतु **शासनादेश संख्या:8/2022/I/157484/2022/001-46-1002-003-1-2022, दिनांक 20.04.2022** द्वारा लेखानुदान के सापेक्ष प्रथम 04 माहों (अप्रैल से जुलाई, 2022 तक) के लिए निर्गत धनराशि रू.1014.20 लाख एवं अवशेष 08 माहों (अगस्त, 2022 से मार्च, 2023 तक) के लिए शासनादेश संख्या-20/2022/I/187688/2022/002-46-1002-003-1-2022, दिनांक 08 जुलाई, 2022 द्वारा धनराशि **रू.2036.27 लाख अर्थात कुल धनराशि** धनराशि रू.30,50,47,000/- लाख (रूपये तीस करोड़ पचास लाख सैंतालिस हजार मात्र) को संशोधित करते हुए संलग्न फॉट के कालम-5 के अनुसार पुर्नआवंटन करते हुए कालम-6 के अनुसार पुनरीक्षित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है

क्र. स.	विवरण	स्वीकृत धनराशि	बचत	पुनरावंटित धनराशि	पुनरीक्षित स्वीकृत धनराशि
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	वेतन	1725.37	22.00	0	1703.37
2	महंगाई भत्ता	619.64	0	0	619.64
3	अन्य भत्ते	11.59	0	0	11.59
4	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	25.00	15.00	0	10.00
5	यात्रा भत्ता	19.80	5.00	0	14.80
6	पेंशन अंशदान	81.77	10.50	0	71.27
7	पेंशनरी अवकाश अंशदान	5.00	0	7.00	12.00
8	मानदेय	2.00	0	0	2.00
9	अखिल भारतीय शोध समन्वित परियोजना गन्ना अंशदान	20.30	0	0	20.30
10	सेवानिवृत्तिक अवकाश नगदीकरण/ग्रेचुटी	340.00	0	0	340.00
11	पारिश्रमिक का भुगतान	80.00	0	55.00	135.00
12	सप्तम वेतनमान एरियर	120.00	9.50	0	110.50
योग-		3050.47	62.00	62.00	3050.47

(रूपये तीस करोड़ पचास लाख सैंतालिस हजार मात्र)

3. उक्तानुसार शासनादेश संख्या:8/2022/I/157484/2022/001-46-1002-003-1-2022, दिनांक 20.04.2022 एवं शासनादेश संख्या-20/2022/I/187688/2022 /002-46-1002-003-1-2022, दिनांक 08 जुलाई, 2022 संशोधित समझा जाय तथा शेष शर्ते व प्रतिबन्ध यथावत रहेंगी।

भवदीय,

शेषनाथ

विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या:15/2023/I/296760**/2023/ एवं दिनांक तदैव।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/ द्वितीय उ.प्र., प्रयागराज।
2. महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ.प्र., लखनऊ।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी, जिला कोषागार, शाहजहॉपुर।
4. वित्त नियंत्रक, कार्यालय गन्ना आयुक्त, उ.प्र.।
5. निदेशक, उ.प्र. गन्ना शोध परिषद, शाहजहॉपुर।
6. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ.प्र., प्रयागराज।
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6/वित्त (बजट) अनुभाग-1
8. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

सुशील कुमार शुक्ल

उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है